

पत्रांक

/आय०क०उत्तरा०/विधि-अनुभाग/09-10/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड  
(विधि-अनुभाग)  
दिनांक:::देहरादून:::01 दिसम्बर--09

समस्त डिप्टी कमिश्नर(क०नि०)वाणिज्य कर  
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर,वाणिज्य कर ।  
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी ।

शासन द्वारा अधिसूचना सं०-९७५ / २००९ / यू०ओ० ३५ / xxvii (८) / २००९ / दिनॉक ३० नवम्बर, २००९ जारी करते हुये अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खरीफ मार्केटिंग सीजन(क०एम०स०)२००९-२०१० के दौरान धान की खरीद के लिए नियत समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) के अतिरिक्त दी जाने वाले बोनस की धनराशि पर कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जायेगा तथा ऐसे धान से निर्मित चावल की बिकी पर भी प्रोत्साहन बोनस की सीमा तक कोई कर उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

शासन द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न करते हुये इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शासन के दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें ।

### संगलन-उपरोक्तानुसार ।

(राधा रत्नौड़ी)  
आयुक्त कर  
उत्तराखण्ड ।

पृ०प०सं० ३७१२ / दिनॉक उक्त ।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव,वित उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।
2. महालेखाकार,उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्ड्रानगर,देहरादून ।
3. अध्यक्ष / सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून / हल्द्वानी ।
4. एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,गढ़वाल जोन देहरादून / कुमायूँ जोन,रुद्रपुर ।
5. एडिशनल कमिश्नर(आडिट/प्रवर्तन)वाणिज्य कर,मुख्यालय देहरादून ।
6. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
7. ज्वाइंट कमिश्नर(अपील)वाणिज्य कर,देहरादून / हल्द्वानी ।
8. ज्वाइंट कमिश्नर(वि०अनु०शा०/प्रवर्तन)वाणिज्य कर,हरिद्वार / रुद्रपुर ।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें ।
10. श्री राकेश वर्मा, महासचिव उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ २२५ आर्शीवाद इल्कलैव देहरादून ।
11. नेशनल इन्फोरमेटिक सेंटर ४ सुभाष रोड देहरादून ।

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-8  
सं० / 2009 / यूओ० 35 / XXVII(8) / 2009  
दिनांक: देहरादून :: ३० नवम्बर, 2009

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:-

अतएव, अब, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (6), सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० १ वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल सहर्ष आदेश करते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खरीफ मार्केटिंग सीजन (के०एम०एस०), 2009-2010 के दौरान धान की खरीद के लिये नियत समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) के अतिरिक्त दी जाने वाली प्रोत्साहन बोनस की धनराशि पर कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जायेगा। ऐसे धान से निर्मित चावल की बिक्री पर भी प्रोत्साहन बोनस की राशि की सीमा तक कोई कर उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं० ७७५ / 2009 / यूओ० 35 / XXVII(8) / 2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- ✓ 1—आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिकारियों व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3—गार्ड फाइल हेतु/ एन०आई०सी०।

वित्त अनुभाग  
आवश्यक कार्यवाही करें

अपर आयुक्त कर  
उत्तराखण्ड देहरादून

आज्ञा से,  
*.....*  
(सी०एस०सेमवाल)  
अपर सचिव, वित्त।